न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

विविध प्रकरण संख्या 23/14 **तारीख रजू 25/11/14**

राजस्थान सरकार जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी,सवाईमाधोपुर।
–आवेदक

बनाम

1. [illegible] मित्तल पुत्र श्री बिन्दल राम मित्तल खाद्य करोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स विन्दल स्टोर्स नया बाजार गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर निवासी शुल्क कॉलोनी नहर रोड गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
– अप्रार्थी (अभियुक्त)

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11)

::निर्णय:: **दिनांक:** 22.2.18

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवम् मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश कुमार रामचन्दानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11)_प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 24.05.2014 को 04:15 पी..एम. पर मैसर्स विन्दल स्टोर्स नया बाजार गंगापुर सिटी पर पहुँचा वहां पर अभियुक्त संख्या 1 (फर्म मालिक) उपस्थित था को आवेदक ने अपना परिचय दिया तथा विक्रेता की उपस्थिती में फर्म का निरीक्षण किया फर्म पर खाद्य पदार्थ काजू (शक्ति) 250 ग्राम पोली पैकिंग पैकिट में 20 पैकिट विक्रय हेतु रखे हुए थे। आवेदक ने उक्त खाद्य पदार्थ काजू (शक्ति) 250 ग्राम पोली पैकिंग पैकिट का क्रय बिल विक्रेता से चाहा गया विक्रेता ने काजू (शक्ति) 250 ग्राम पोली पैकिग पैकिट का क्रय बिल नहीं होना बतलाया तथा यह बतलाया कि बिल केवल काजू का ही आता है तत्पश्चात् विक्रय हेतु रखे गये खाद्य पदार्थ काजू (शक्ति) 250 ग्राम पौली पैकिग पैकिट परं मिसब्राण्ड एवं मिलावटी का शंक होने पर विक्रेता से नमूना वास्ते जांच हेतु लिया गया तथा उक्त नमूना फार्म नं0 6 की सील्ड लिफाफें में स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की तथा डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्रांक एफएसएसए/2014/922 दिनांक 11/06/2014 के द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा·से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एफएसएसएल/2014/196 दिनांक 06/06/2014 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ काजू (शक्ति) 250 ग्राम पोली पैकिग पैकिट मिसब्राण्ड पाया गया है।जिसकी सूचना विक्रेता को दी गयी किन्तु विक्रेता द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी। उक्त प्रकरण में विक्रेता द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ काजू (शक्ति) 250 ग्राम पोली पैकिग पैकिट का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसकी शास्ति खाद्य सुरक्षा एवम मानक अधिनियम 2006 एवम् 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः उपरोक्त न्याय निर्णयन आवेदन में तदानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाकर अधिकतम जुर्माना लगाया जावे।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज किया अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्त मय वकील उपस्थित हुआ। उभय पक्ष को सुना गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

आवेदक ने आवेदन में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में बयान दर्ज कराते हुए बहस में कथन किया कि विक्रेता का फर्म का निरीक्षण करने पर **खाद्य पदार्थ काजू (शक्ति) 250 ग्राम पोली पैकिग पैकिट** का शुद्धता हेतु नमूना लिया जाकर विधिक प्रकिया पूर्ण करते हुए नमूना परीक्षण हेतु खाद्य विश्लेषक,कोटा को भिजवाये गये। **खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एफएसएसएल/2014/196 दिनांक 06/06/2014 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ काजू (शक्ति) 250 ग्राम पोली पैकिग पैकिट मिसब्राण्ड पाया गया है तथा अभियुक्त से उक्त खाद्य पदार्थ काजू (शक्ति) 250 ग्राम पोली पैकिग पैकिट का कय बिल चाहे जाने पर विक्रेता द्वारा केवल काजू का बिल पेश किया गया ना कि काजू (शक्ति) 250 ग्राम पोली पैकिग पैकिट का बिल पेश किया गया है।** विक्रेता द्वारा मिसब्राण्ड **खाद्य पदार्थ काजू (शक्ति) 250 ग्राम पोली पैकिग पैकिट** विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 एवम् नियम,2011 की धारा 26 की उप धारा–2(।।) का उल्लंघन किया है जिसकी शास्ति खाद्य सुरक्षा एवम मानक अधिनियम 2006 एवम् 2011 की धारा 52 में निर्धारित हैं तथा अभियोजन अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवम मानक अधिनियम 2006 एवम् 2011 की धारा 51 व 52 के अनुसार अभियुक्त को अधिकतम जुर्माने से दण्डित करने हेतु निवेदन किया है।

अभियुक्त वकील ने दौराने बहस निवदेन किया कि उनवानी प्रकरण प्रार्थी द्वारा झूठा बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा जब्त शुदा खाद्य पदार्थ **काजू (शक्ति) 250 ग्राम पोली पैकिग पैकिट का निर्माता नहीं है। प्रार्थी ने जिस माल का विकय किया है वह निर्माता से पैक अवस्था में ही उपलब्ध हुआ है और उसी अवस्था में प्रार्थी ने विकय किया है। प्रार्थी ने जब्त शुदा माल को निर्माता से जिस रूप में कय किया उसी रूप में बेचा है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में निर्माता ही दोषी है।**

आवेदक की बहस सुनने ,आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व विक्रेता द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि **खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एफएसएसएल/2014/196 दिनांक 06/06/2014 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ काजू (शक्ति) 250 ग्राम पोली पैकिग पैकिट मिसब्राण्ड पाया गया है तथा वकील अभियुक्त ने अपनी बहस में अवगत कराया कि** प्रार्थी द्वारा जब्त शुदा खाद्य पदार्थ **काजू (शक्ति) 250 ग्राम पोली पैकिग पैकिट का निर्माता नहीं है। प्रार्थी ने जिस माल का विकय किया है वह निर्माता से पैक अवस्था में ही उपलब्ध हुआ है और उसी अवस्था में प्रार्थी ने विकय किया है। प्रार्थी ने जब्त शुदा माल को निर्माता से जिस रूप में कय किया उसी रूप में बेचा है। लेकिन अभियुक्त पक्ष द्वारा खाद्य पदार्थ काजू (शक्ति) 250 ग्राम पोली पैकिग पैकिट का कय बिल आवेदक के समक्ष एवं न्यायालय हाजा में पेश नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट हो कि उक्त खाद्य पदार्थ काजू (शक्ति) 250 ग्राम पोली पैकिग पैकिट का निर्माता कौन है ? एवं अभियुक्त उक्त प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में निर्धारित समय में जांच कराने हेतु आवेदन कर सकता था। अतः अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ काजू (शक्ति) 250 ग्राम पोली पैकिग पैकिट** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 एवम् नियम,2011 की धारा 26 की उप धारा–2(।।) का उल्लंघन करने का दोष सिद्ध होने पर उसें उक्त विनियम का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है।

अभियुक्त को उक्त आपराधिक कृत्य के दण्डके बिन्दु पर सुना गया। खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 एवम् नियम,2011 की धारा 26 की उप धारा–2(।।) का उल्लंघन के अन्तर्गत उक्तांकित आपराधिक प्रवृति का कृत्य कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2011 के नियम 52 के अन्तर्गत

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभिहित अधिकारी (खाद्य सु...
...अधिकारी

आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित हैं। अभियुक्त लघु व्यवसायी है उनके द्वारा उक्त आपराधिक प्रवृति का अपराध प्रथम बार कारित किया जाना पाया जाता है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवम मानक अधिनियम 2006 एवम् 2011 की धारा 49 में अंकित उपबंधों ध्यान में रखते हुए अभियुक्त 1 व 2 को खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2011 के नियम ' 52 के अन्त 5,000 (पांच हजार) रूपये की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित की जाकर भविष्य में ऐसी त्रुटि की पुनराव न करने के लिए निर्देशित किया जाता हैः तथा विक्रेता (अभियुक्तगण) को आदेशित किया जाता है कि उक्त अधिरोपित शास्ति राशि तीस दिवस की अवधि के भीतर –भीतर **न्याय निर्णय अधिकारी एवम् अतिरि जिला मजिस्ट्रेट,सवाईमाधोपुर** के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्ण अधिकारी को जमा करवावे। अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेग आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को (यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिक अधिकारी को) परिदत्त की जावे अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिए पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक —22.2.18———को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपु